भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 599158

30 MAY 2012

0068

राजकीय कोषागार, फिरोजाबाद

फोटो विक्रेता - श्रीमती शान्तीदेवी

रतनेश कुमार सिंह
एम.एस.सी., बी.एड., एल.एल.बी.
एडवोकेट
सुभाष रोड, फिरोजाबाद

फोटो क्रेता - अजय कुमार अग्रवाल

रतनेश कुमार सिंह
एम.एस.सी., बी.एड., एल.एल.बी.
एडवोकेट
सुभाष रोड, फिरोजाबाद

विक्रेता - श्रीमती शान्तीदेवी

क्रेता-गिरधारीलाल मनोहरलाल रीयलटच प्रा0 लि0

स्थित - मौजा मिल्कखान जहाँपुर

क्षेत्रफल - 1743.28 वर्गमीटर

दर - 1,500/-रूपया प्रति वर्गमीटर जो रेटलिस्ट के पृ.21 के क्र.01 पर अंकित है।

बिक्री - 23,40,000/-रूपया

सरकारी मालियत - 27,28,000/-रूपया

देय स्टाम्प - 1,90,890/-रूपया जिसमें से वक्त बैनामा 1,15,000/-रूपया का तथा इकरारनामा दिनांक 03-08-2011 ई0 के द्वारा 76,200/-रूपया का स्टाम्प अदा किया गया है जिसमें से 100/-रूपया का स्टाम्प कम करते हुये 76,100/-रूपया का स्टाम्प वक्त बैनामा समायोजित किया जा रहा है।

फोटो प्रमाणितकर्ता - रतेनश कुमार सिंह एडवोकेट

विक्रय-पत्र प्लॉट

हम है कि श्रीमती शान्तीदेवी गुप्ता पत्नी स्व0 श्री शान्तीस्वरूपजी गुप्ता निवासी मौहल्ला इस्लामगंज थाना दक्षिण पोस्ट व तहसील व जिला फिरोजाबाद विक्रेता प्रथम पक्ष व गिरधारीलाल मनोहरलाल रीयलटच प्रा0लि0 साइट ऑफिस फिरोजाबाद द्वारा डायरेक्टर अजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नरायन अग्रवाल निवासी 560 जलेसर रोड शहर व जिला

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 MAY 2012

0068

राजकीय कोषागार, फिरोजाबाद

B 599159

[2]

फिरोजाबाद क्रेता द्वितीय पक्ष के हैं जो कि प्रथम पक्ष एक किता प्लॉट/भूखण्ड स्थित मौजा मिल्कखानजहाँपुर तहसील व जिला फिरोजाबाद अन्तर्गत गाटा सं0 102/2 रकवा 0.691 है0 जो कि पूर्व में गाटा सं0 102 था जिसका विधिवत आबादी डिक्लरेशन अर्न्तगत धारा 143 जैड0ए0एण्डएल0आर0एक्ट न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद के द्वारा हो चुका है की मालिक काबिज व दखील बजरिये पाँच किता बैनामा प्रथम बैनामा तहरीर दिनांक 11-08-1992 ई0 नविश्ता विनोद कुमार बंसल पुत्र श्री लाला रामकिशनजी अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गा नगर तहसील व जिला फिरोजाबाद जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 491 के पृष्ठ 361/386 में नम्बर 11099 पर उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद हुयी है व द्वितीय बैनामा तहरीर दिनांक 21-09-1993 ई0 नविश्ता विनोद कुमार बंसल पुत्र श्री लाला रामकिशनजी अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गा नगर तहसील व जिला फिरोजाबाद जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 775 के पृष्ठ 21/48 में नम्बर 9661 पर उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद हुयी है व तृतीय बैनामा तहरीर दिनांक 06-11-1993 ई0 नविश्ता विनोद कुमार बंसल पुत्र श्री लाला रामकिशनजी अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गा नगर तहसील व जिला फिरोजाबाद जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 803 के पृष्ठ 345/372 में नम्बर 11060 पर उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद हुयी है व चतुर्थ बैनामा तहरीर दिनांक 14-09-1993 ई0 नविश्ता विनोद कुमार बंसल पुत्र श्री लाला रामकिशनजी अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गा नगर तहसील व जिला फिरोजाबाद जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 769 के पृष्ठ 205/234 में नम्बर 9421 पर उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद हुयी है व पंचम बैनामा तहरीर दिनांक 27-08-1993 ई0 नविश्ता विनोद कुमार बंसल पुत्र श्री लाला रामकिशनजी अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गा नगर

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 MAY 2012
0068
राजकीय कोषागार, फिरोजाबाद

B 599160

[3]

तहसील व जिला फिरोजाबाद जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 756 के पृष्ठ 229/262 में नम्बर 8845 पर उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद हुयी है, के द्वारा हूँ कि जिसमें प्रथम पक्ष का कोई अन्य साझीदार व भागीदार किसी किस्म का नहीं है कि जो माने बै में बाधक हो प्रथम पक्ष को आराजी प्लॉट से कोई लाभ नहीं होता है तथा इस समय प्रथम पक्ष को अपनी घरेलू एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है तथा द्वितीय पक्ष एक माकूल व मुनासिब कीमत देकर उक्त प्लॉट को अपने हक में क्रय करना चाहता हैं कि जिसको बेचने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है अतः विक्रय करना स्वीकार है। विदित रहें कि प्रथम पक्ष ने अपने भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 2836.43 वर्गमीटर है को बिक्री करने का सौदा इकरारनामा तहरीर दिनांक 02-08-2011 ई0 कि जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द सं0 8363 के पृष्ठ 1/14 में नम्बर 7149 पर दिनांक 03-08-2011 ई0 को उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद पर हुई है, द्वारा क्रेता द्वितीय पक्ष से 38,10,000/-रूपया में तय करके ब्याने में 3,00,000/-रूपया वक्त रजिस्ट्री इकरारनामा प्राप्त किये थे जिसमें बैनामा होना नियत था जिसमें से प्रथम पक्ष ने इकरारनामा दिनांक 03-08-2011 ई0 की शर्तों के अनुसार उपरोक्त इकराशुदा क्षेत्रफल 2836.43 वर्गमीटर में से 1093.15 वर्गमीटर के भूखण्ड का बैनामा द्वितीय पक्ष के हक में दिनांक 07-02-2012 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 8654 के पृष्ठ 219/242 में नम्बर 1449 पर दिनांक 10-02-2012 ई0 पर उपनिबन्धक कार्यालय फिरोजाबाद हुई है के द्वारा कर दिया है अब शेष 1743.28 वर्गमीटर भूखण्ड को इकरारनामा दिनांक 03-08-2011 ई0 की शर्तों के अनुसार बकीमत मुवलिग **तेईस लाख चालीस हजार रूपया** कि आधे जिसके ग्यारह लाख सत्तर हजार रूपया होते हैं में बदस्त गिरधारीलाल मनोहरलाल रीयलटच प्रा0लि0 साइट

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30 MAY 2012

B 599161

[4]

ऑफिस फिरोज़ाबाद द्वारा डायरेक्टर अजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नरायन अग्रवाल निवासी 560 जलेसर रोड शहर व जिला फिरोजाबाद क्रेता द्वितीय पक्ष को कतई बै कर दिया और बेच दिया और बिक्रीधन की सम्पूर्ण धनराशि में से 3,00,000/-रूपया ब्यानें की धनराशि इकरारनामा दिनांक 03-08-2011 ई0 द्वारा क्रेता द्वितीय पक्ष से वसूल पायी जिसमें से 1,00,000/-रूपया बैनामा दिनांक 10-02-2012 ई0 में समायोजित की गयी थी तथा शेष धनराशि 2,00,000/-रूपया बैनामा हाजा में समायोजित की जा रही है एवं शेष धनराशि 21,40,000/-रूपया जरिये चैक नम्बर 634666 जो दिनांक 01-06-2012 ई0 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मौहम्मद गंज फिरोजाबाद का है इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य 23,40,000/-रूपया क्रेता द्वितीय पक्ष से वसूल पाकर कब्ज व दखल मालिकाना बिक्रीशुदा भूखण्ड पर क्रेता द्वितीय पक्ष को देकर क्रेता द्वितीय पक्ष को बिक्रीशुदा प्लॉट का मालिक काबिज व दखील बना दिया। अब बिक्रीधन में प्रथम पक्ष की कोई धनराशि द्वितीय पक्ष पर शेष नहीं रही है और बिक्रीशुदा प्लॉट से प्रथम पक्ष या उनके वारिसान का कोई हक ताल्लुक या सरोकार किसी किस्म का किसी तौर पर शेष नहीं रहा। आज से समस्त अधिकार मालिकाना आदि द्वितीय पक्ष को हासिल हो गये। द्वितीय पक्ष अधिकारी हैं कि वह बिक्रीशुदा प्लॉट से चाहे जैसा लाभ उठायें तथा बिक्रीशुदा प्लॉट की बावत समस्त सरकारी अभिलेखों से प्रथम पक्ष का नाम खारिज कराकर अपने नाम का इन्द्राज करा लें और प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को यकीन दिलाया है कि बिक्रीशुदा प्लॉट हर तरह से पाक व साफ है किसी भी सरकारी या गैरसरकारी बैंक या वित्तीय संस्थान में बंधक या मोरगेज आदि नहीं है जिसकी बावत द्वितीय पक्ष को गुडटाइटिल की गारन्टी दी जाती है दर सूरत खिलाफ ब्यानी या किसी की दावेदारी से बिक्रीशुदा प्लॉट का पूर्णतः या अंशतः भाग क्रेता द्वितीय पक्ष के कब्जे

विक्रय पत्र

2,340,000.00/	2,728,000.00	10,000.00	20	10,020.00	800
		फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत

श्री अजय कुमार अग्रवाल

पुत्र श्री कैलाश नरायन अग्रवाल

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी नि0 560 जलेसर रोड फिरो0

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 1/6/2012 समय 3:56PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के

सुरेशचन्द्र मौर्य

उपनिबन्धक सदर प्रथम

फिरोजाबाद

1/6/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्रीमती श्रीमती शान्तीदेवी गुप्ता
पत्नी श्री स्व0 श्री शान्तीस्वरूप गुप्ता
पेशा गृहिणी
निवासी नि0 मो0 इस्लामगंज फिरो0

क्रेता

श्री अजय कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री कैलाश नरायन अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी नि0 560 जलेसर रोड फिरो0

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री विनोद कुमार गुप्ता

पुत्र श्री स्व0 श्री शान्तीस्वरूप गुप्ता

पेशा व्यापार

निवासी नि0 मो0 इस्लामगंज फिरो0

व श्री ईशान्त गुप्ता

पुत्र श्री राकेश कुमार गुप्ता

पेशा व्यापार

निवासी नि0 मो0 इस्लामगंज फिरो0

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

श्रीमती शान्ती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिचय पत्र सं0 24311

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के

सुरेशचन्द्र मौर्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28 MAY 2012

X 411047

[5]

से निकल जावे या उसकी बावत किसी को कुछ देना या खर्च करना पड़े तो क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त बिक्रीधन मय हर्जा व खर्चा मय सूद कानूनी के प्रथम पक्ष व उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति मौजूदा व आयंदा से बजरिये अदालत चाहे जिस तौर पर वसूल कर ले जिसमें प्रथम पक्ष या उनके वारिसान को कभी कुछ उज्र व ऐतराज हरगिज न होगा। विवरण बिक्रीशुदा प्लॉट स्थित **मौजा मिल्कखानजहाँपुर** तहसील व जिला फिरोजाबाद **अन्तर्गत गाटा संख्या 102/2** कि जिसकी सीमा व पैमाइश निम्न प्रकार है सीमा पूरब में भूमि क्रेता द्वितीय पक्ष पश्चिम में भूमि प्लॉट राजेश कुमार गुप्ता आदि एवं रास्ता उत्तर में भूमि क्रेता द्वितीय पक्ष दक्षिण में प्लॉट श्रीमती उमाकान्त बंसल पैमाइश पूरब **166 फीट 09 इंच** पश्चिम **166 फीट 09 इंच** उत्तर **112 फीट 06 इंच** दक्षिण **112 फीट 06 इंच** जिसका कुल क्षेत्रफल **18759.37 वर्गफीट यानी 1743.28 वर्गमीटर** है जिसकी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 01-08-2011 ई0 को जारी नवीनतम मूल्यांकन सूची के पृष्ठ 21 के क्रमांक 01 के अनुसार निर्धारित दर **1,500/-रूपया प्रति वर्गमीटर** के हिसाब से मालियत **26,15,153.81/-रूपया** होती है तथा विक्रयशुदा भूखण्ड की दो साइड में पुरानी ईंटों से बाउन्ड्री लगी हुयी है जो गारे से चिनी हुयी है जिसमें अधिकतम पैंतीस हजार पुरानी ईंटें लगी हुयी हैं जिसकी अधिकतम बाजारी कीमत **60,000/-रूपया** होती है तथा उक्त भूखण्ड दो पेड़ नीम के तथा दस पेड़ अन्य के हैं जिनकी अधिकतम बाजारी कीमत रेटलिस्ट के पृ.34 के क्र.33 के अनुसार नीम के पेड की कीमत 6,000/-रूपया प्रति वृक्ष तथा अन्य की 4,000/-रूपया प्रति

27 01.05.12

5000 पीपलफल

गिरधारीलाल मोहन लाल श्रीमती रचना ग्रु. लि. जाइट मेमिन्स

बराबर श्री अजय कुमार अग्रवाल ए० सी० के लाश-राय

560 प्लेसर रियल्टर.

के. सिंह

3

15000

विक्रेता

Registration No.: 5798 Year: 2,012 Book No. : 1

0101 श्रीमती शान्तीदेवी गुप्ता

स्व0 श्री शान्तीस्वरूप गुप्ता

नि0 मो0 इस्लामगंज फिरो0

गृहिणी

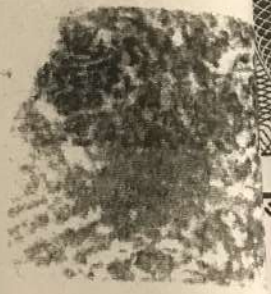

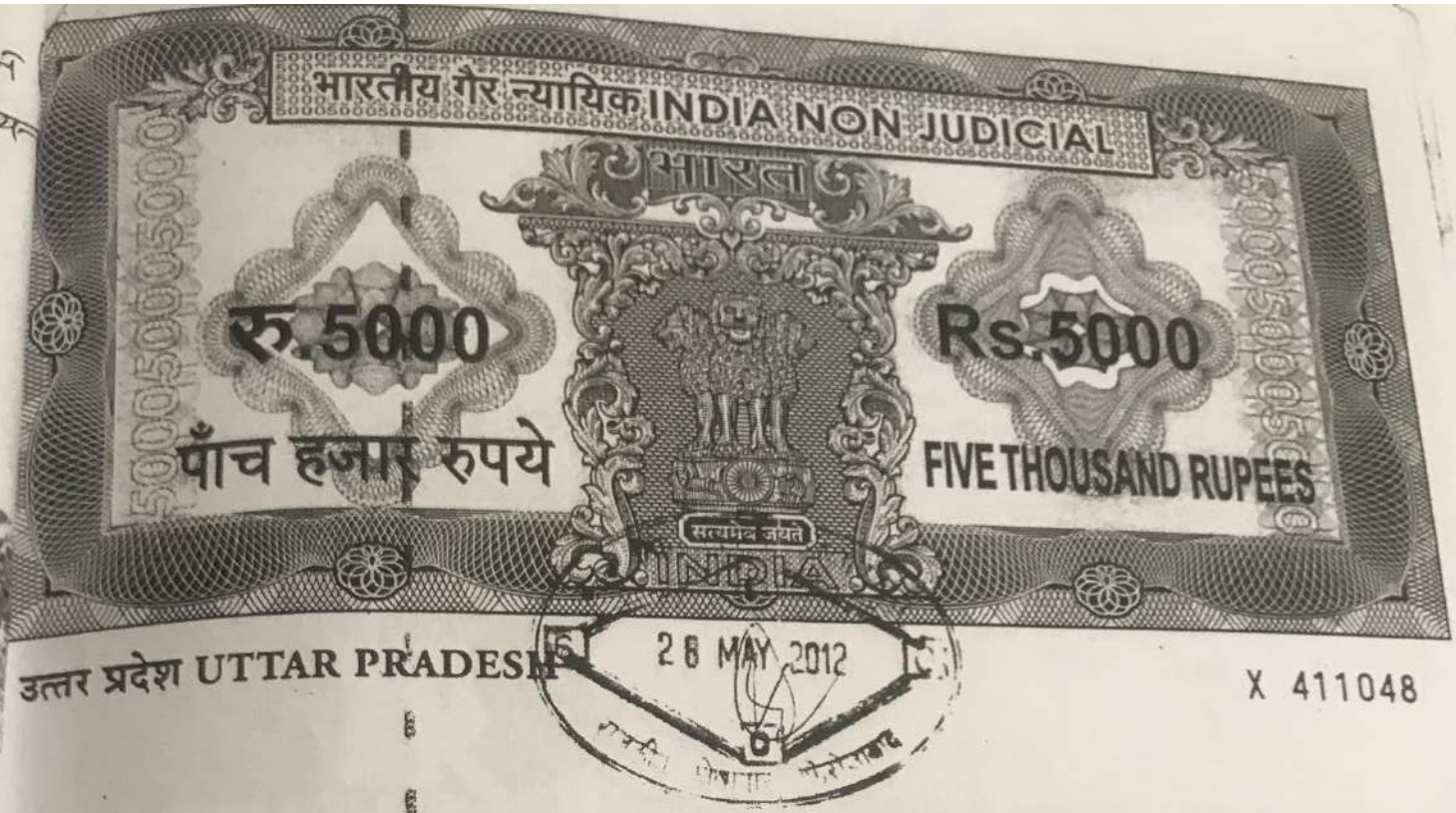

वृक्ष के हिसाब से कुल कीमत 52,000/-रूपया होती है इस प्रकार बिक्रीशुदा प्लॉट की सम्पूर्ण मालियत 27,27,153.81/-रूपया होती है यानी 27,28,000/-रूपया की अधिकतम मालियत पर नियमानुसार स्टाम्प इस प्रकार अदा किया गया है चूँकि क्रेता फर्म/पुरूष है इसलिये नवीन शासनादेश संस्थागत वित्त कर एवं अनुबन्ध अनुभाग-5 के पत्र संख्या 2756 दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार सात प्रतिशत की दर से 1,91,000/-रूपया का स्टाम्प अदा किया गया है। विदित हो कि इकरारनामा दिनांक 03-08-2011 ई0 के द्वारा 76,200/-रूपया का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें बैनामा दिनांक 10-02-2012 ई0 के वक्त स्टाम्प का समायोजन नहीं किया गया अतः द्वितीय बैनामा में इकरारनामा दिनांक 03-08-2011 ई0 को 76,200/-रूपया के अदा किये स्टाम्प में से 100/-रूपया का स्टाम्प कम करते हुये 76,100/-रूपया का स्टाम्प आज हो रहे बैनामा में समायोजित किया जाता है तथा वक्त बैनामा 1,15,000/-रूपया का स्टाम्प अदा किया गया है। यहकि बिक्रीशुदा प्लॉट रेटलिस्ट में प्रदर्शित किसी भी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है जो राष्ट्रीय राजमार्ग नं0-2 से लगभग दो सौ मीटर की दूरी पर अन्दर गली में स्थित है। बिक्रीशुदा प्लॉट ग्राम सभा व पट्टे व नजूल या सरकारी आस्थान की भूमि नहीं है और बिक्रीशुदा प्लॉट किसी सरकारी या गैरसरकारी योजना के लिये अधिग्रहीत नहीं किया गया है। अतः यह विक्रय पत्र सोच व समझकर बहक द्वितीय पक्ष तहरीर कर दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे।

28 31.05.12
27
5000 Pradhan Lal Mohan Lal Real Est. Pvt. Ltd.
Pradhan Lal 5000
3

क्रेता

Registration No. : 5798 Year : 2,012 Book No. : 1

0201 अजय कुमार अग्रवाल
कैलाश नरायन अग्रवाल
नि0 560 जलेसर रोड फिरो0
व्यापार

उत्तर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

X 411049

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28 MAY 2012

तहरीर तारीख 01-06-2012 ई0 मसविदा हिमा पक्षकारान के कथनानुसार रतनेश कुमार सिंह एडवोकेट तहसील सदर फिरोजाबाद।

2"

फोटो व ह0 गवाह
विनोद कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री शान्तीस्वरूप गुप्ता
निवासी मौहल्ला इस्लामगंज
शहर व जिला फिरोजाबाद।

रतने
एम ल.बी.
तहसील कोर्ट, फि

फोटो व ह0 गवाही
राकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0श्री शान्तीस्वरूप
निवासी मौहल्ला इस्लामगंज
शहर व जिला फिरोजाबाद।

21 31.05.12
5000 27
गिरधारी लाल सोहन लाल रीयलटच प्रा.लि.
3 15000

इकरारनामा विक्रय दिलेख दि0 3-8-2011
खण्ड सं0 8363 पृष्ठ सं0 1 दिलेख
सं0 7149 धनराशि 14 76100/-
विक्रय दिलेख दि0 3-6-2012 खण्ड सं0 8838
पृष्ठ 163 दिलेख सं0 5798
बहन 16 में रजिस्ट्रीकृत किया गया। स्टाम्प रु.

आज दिनांक 01/06/2012 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 8838
पृष्ठ सं. 163 से 178 पर क्रमांक 5798
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेशचन्द्र मौर्य
उपनिबन्धक सदर प्रथम
फिरोजाबाद
1/6/2012

इकरारनामा विक्रय दिलेख दि0 3-8-2012
खण्ड सं0 8838 पृष्ठ सं0 ..... दिलेख
सं0 ..... धनराशि .....
विक्रय दिलेख दि0 ..... खण्ड सं0 .....
पृष्ठ ..... दिलेख सं0 .....
बहन 16 में रजिस्ट्रीकृत किया गया।